प्रेषक,

जिला जज,
पौड़ी गढ़वाल।

प्रेषित,

1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल।
2— सिविल जज (सी0डि0) पौड़ी गढ़वाल।
3— सिविल जज (जू0डि0) पौड़ी गढ़वाल।
4— सिविल जज (जू0डि0) कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
5— न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटद्वार गढ़वाल।
6— सिविल जज (जू0डि0) लैन्सडाउन/धुमाकोट, पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांकः 718 /प्रशा0 दिनांक : पौड़ी, जुलाई 06, 2020,

विषयः— कोविड—19 (कोरोना वायरस महामारी) के संक्रमण को रोकने के लिए न्यायालय कार्यो के समबन्ध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 2611/UHC/Admin.B/Corona-19 दिनांकित 16—06—2020 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 661/प्रशा0/2020 दिनांकित 02—07—2020 द्वारा जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारियों के न्यायालय में उपस्थित आने की व्यवस्था की गयी थी। इस जिला न्यायालय के मुख्यालय एवं वाहय न्यायालयों के निम्न न्यायिक अधिकारीगण आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण पूर्व में जारी आदेश पत्र संख्या 661/प्रशा0/2020 दिनांकित 02—07—2020 को निम्न संशोधित व्यवस्था के साथ पढ़ा जाये :—

1. श्री रवि प्रकाश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी दिनांक 08—07—2020 से 15—07—2020 (दि0 11 एवं 12—07—20 द्वितीय शनिवार व रविवार का अवकाश) तक 06 दिनों के आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए मुख्यालय से बाहर रहेगें। उक्त अवधि में मुख्यालय पौड़ी में एकमात्र महिला न्यायिक अधिकारी जो माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक सं0 2611/UHC/Admin.B/Corona-19 दिनांकित 16—06—2020 द्वारा कार्यालय आने से छूट होने के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं आ रही थी लेकिन मुख्यालय में एकमात्र न्यायिक अधिकारी होने के कारण उपरोक्त अवधि 08—07—2020 से 15—07—2020 (दि0 11 एवं 12—07—20 द्वितीय शनिवार व रविवार का अवकाश सम्मिलित करते हुए) तक अपने न्यायालय के अतिरिक्त न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी के प्रभारी के रुप में उपस्थित रहेंगी।

2— श्री कुलदीप नारायण, सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडाउन दिनांक 09 एवं 10—07—2020 तक आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए दिनांक 08—07—2020 की सांय 5:00बजे से 13—07—2020 की प्रातः 10:00बजे (दि0 11 एवं 12—07—20 द्वितीय शनिवार व

रविवार का अवकाश) तक मुख्यालय से बाहर रहेगें। इस अवधि के दौरान सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार, सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैन्सडाउन के न्यायालय के प्रभारी रहेगें।

3— श्री विवेक राणा, सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार दिनांक 10—07—2020 को आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए दिनांक 09—07—2020 की सायं 5:00बजे से दिनांक 12—07—2020 की सायं तक (दि0 11 —07—20 द्वितीय शनिवार के अवकाश सहित) मुख्यालय से बाहर रहेगें। इस अवधि के दौरान श्रीमती शिखा भण्डारी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार प्रभारी अधिकारी सिविल जज (जू0डि0)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार के न्यायालय की प्रभारी अधिकारी रहेंगी।

6.7.20

(सिकन्द कुमार त्यागी)
जिला जज,
पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
2— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल।
3— सिस्टम अधिकारी, जिला जजी पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि वह इस पत्र की एक प्रति जनपद न्यायालय के अधिकारिक वेबसाइड पर अपलोड करें।
4— प्रत्येक न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु,
5— संबंधित गार्ड फाइल।

6/7/20

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
जिला जज, पौडी गढ़वाल।